नाहरगढ़ बायो पार्क से लापता शेरनी 'सृष्टि' दो दिन बाद एंक्लोजर में घूमती नजर आई

- रविवार शाम से सफारी में सिर्फ शेर त्रिपुर ही दिख रहा था, घास में ही छिपी थी शेरनी
- 'सृष्टि' को देखने के बाद वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि आबादी में घुसने का डर था

जयपुर (कासं)। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की इकलौती शेरनी 'सृष्टि' दो दिन बाद एंक्लोजर में ही घूमती नजर आ गई है। इसके बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है।

सीनियर वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि 'सृष्टि' के लापता होने की खबर फैलने के बाद वन विभाग की टीमें 36 हेक्टेयर में फैले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में तलाश करने में जुटी थी। बताया जा रहा है कि यहां बड़ी-बड़ी घास उगी हुई थी, इसी के बीच शेरनी छिपी हुई थी। अब इसे देख लिया गया है। उधर नाहरगढ़ बायो पार्क से शेरनी के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद से शहर से लगते कई क्षेत्रों में डर का माहौल बना हुआ था।

दरअसल 3 वर्षीय शेरनी 'सृष्टि' के गायब होने के कारण वन विभाग परेशान था। क्योंकि बारिश की वजह से फेंसिंग क्षेत्र में कई बार मिट्टी ढहने से दीवार टूटने के साथ ही जमीन में गड्ढा हो जाता है। ऐसे में अगर सृष्टि वन क्षेत्र से बाहर निकल जाती तो बड़ी अनहोनी की संभावना थी। क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क के नजदीक ही आमेर, सिस्यावास, कुंडा और कूकस का घनी आबादी क्षेत्र है।

बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल पार्क की लॉयन सफारी में शेरनी सृष्टि को शेर त्रिपुर के साथ रखा गया था। बीते 30 घंटे से त्रिपुर अकेला ही सफारी में नजर आ रहा था। इसके बाद रविवार देर शाम से ही वन विभाग की टीम ने सृष्टि की खोजबीन तेज कर दी थी।

ज्ञात रहे कि 'सृष्टि' को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत डेढ़ साल पहले गुजरात के जूनागढ़ से जयपुर लाया गया था। तब से सृष्टि जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की शान बनी हुई है। सृष्टि बायोलॉजिकल पार्क की इकलौती शेरनी है, इस कारण इसे शेर त्रिपुर के साथ जोड़ी बनाकर लॉयन सफारी में रखा गया है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। मिश्र ने मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें राजभवन में बन रहे संविधान पार्क और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के लिए राजभवन स्तर पर किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

सुबह प्रदेश कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह, तो शाम को निकाला कैंडल मार्च

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह जहां मौन सत्याग्रह किया वहीं शाम को कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ विरोध जताया। हालांकि दोनों ही समय में प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व होने के बावजूद भीड़ उतनी नहीं हो पाई जितनी 21 जुलाई को ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन के दौरान हुई थी।

- डोटासरा ने राजस्थान में भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का कुचक्र शुरू होने की आशंका जताई

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर के शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह किया गया।

शहीद स्मारक पर मोन सत्याग्रह के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जहां-जहां चुनाव होने हैं। वहां इनका केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के दुरुपयोग का कुचक्र शुरू हो जाता है। जिस तरीके से देश में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग चल रहा है।

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मोदी जी और अमित शाह राजस्थान में भी पूरी प्लानिंग के साथ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का कुचक्र राजस्थान में चलाने जा रहे हैं, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं, हम इनका बिना घबराए स्वागत करेंगे। डोटासरा ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या इस देश का कोई भी नागरिक भाजपा और आरएसएस से डरने वाला नहीं है। न तो हम लोग टूटने वाले हैं। न झुकने वाले हैं। चाहे ईडी ले आए या सीबीआई ले आएं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह अंतिम दम तक लड़ेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ राजधानी में कांग्रेस ने चार घंटे तक शहीद स्मारक पर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, हेमाराम चौधरी, टीकाराम जुली,परसादी लाल मीणा, भजनलाल, रामलाल जाट के अलावा कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे। हालांकि गर्मी और उमस के चलते मंत्री पूरे समय रुकने के बजाय एक-एक कर निकलते रहे। ऐसे में अंत में सिर्फ तीन मंत्री ही सत्याग्रह में रुके रहे।

स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने कार्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरण को अनुचित मानते हुए रोक लगा दी है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव व निदेशक आपदा प्रबंधन से जवाब तलब किया है।

उल्लेखनीय है कि इंद्र मल ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सीनियर स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। यह पद राजस्थान में निदेशालय के अलावा अन्य कहीं नहीं है। प्रार्थी का स्थानांतरण जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा में किया गया जहां पर प्रार्थी से निम्न पद स्वीकृत है। प्रार्थी का स्थानांतरण कार्य व्यवस्था के तहत किया गया। ऐसा किया जाना अनुचित है। यह स्थानांतरण बिना विवेक किया है क्योंकि प्रार्थी को किस पद पर लगाया गया है, अंकित नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी का तर्क था कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने डॉ. कैलाश गुर्जर के मामले में भी कार्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरण को अनुचित माना क्योंकि इसके तहत कर्मचारी जॉइनिंग टाइम व अवकाश से वंचित हो जाता है। मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी।

दुष्कर्म मामले में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सहित 11 बरी

- झूठे बयान देने पर महिला को नोटिस जारी

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने सुखदेव सिंह गोगामेडी सहित कुल 11 आरोपियों को विवाहिता को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मौजूद नहीं है। वहीं अदालत ने मामले में पक्षद्रोही होने वाली पीड़िता को नोटिस जारी करने को कहा है।

मामले के अनुसार पीड़िता ने 27 अप्रैल 2016 को संजय सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसका ससुराल वालों से मतभेद चल रहा है। वहीं सुखदेव सिंह मदद के बहाने उसे सितंबर 2014 में हनुमानगढ़ से जयपुर ले आया। यहां सुखदेव सिंह ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता को वैशाली नगर के एक पीजी में रखा गया और विक्रम सिंह, श्योपाल सहित अन्य लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जनवरी 2018 में हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। मामले में जांच के बाद पुलिस ने सभी को आरोपी मानते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया। वहीं ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई और एक महिला पत्रकार के बहकावे में आकर पूर्व में बयान देने की बात कही। इस पर अदालत ने गोगामेडी सहित आरोपी बनाए गए हुकुम सिंह, धर्मा, चेन सिंह, मनोज, सुरेन्द्र सिंह, श्योपाल, विक्रम सिंह, प्रद्युम्न शास्त्री, बहादुर सिंह और आरके चौपड़ा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

'ओडीएफ प्लस के लिए सभी का साथ काम करना जरुरी'

जयपुर, (का.सं.)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राजस्थान के निदेशक संदेश नायक ने जिले की सभी टीमों को एकजुट होकर कार्य करते हुए ओडीएफ प्लस के निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्य नियत समय पर अर्जित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ओडीएफ प्लस के सभी घटकों पर एक साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। नायक इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में इस सम्बन्ध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में यूनिसेफ के विषय विशेषज्ञ रूषभ हिमानी ने कहा कि ओ.डी.एफ. के इस चरण में समुदाय के व्यवहार में बदलाव हेतु राज्य द्वारा निर्मित आई.ई.सी. टूल किट का उपयोग किया जाना चाहिए। विषय विशेषज्ञ सरोज कान्त चौधरी ने एक गांव में प्रतिदिन उत्पन्न ठोस एवं तरल कचरे के आंकलन की पद्धति की जानकारी दी एवं ग्रामीणों से सहभागिता के आधार पर ही डी.पी.आर. निर्माण करने पर बल दिया।

जेडीए का पक्ष भी सुनेगा हाईकोर्ट

- आगरा रोड पर बल्लूपुरा गांव के पास 29 बीघा जमीन के स्वामित्व का है मामला

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आगरा रोड पर बल्लूपुरा गांव के पास करोड़ों रुपए की 29 बीघा जमीन के 34 साल पुराने मालिकाना हक के मामले में जेडीए को राहत देते हुए उसका पक्ष सुनने की सहमति दी है। वहीं अदालत ने मामले के पक्षकारों को कहा है कि वे आगामी सुनवाई पर अंतिम बहस करें। जस्टिस अशोक गौड ने यह आदेश मामले में जेडीए की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए दिए।

जेडीए की ओर से कहा गया कि मामले में जेडीए का पक्ष सुना ही नहीं गया है, इसलिए अदालत राज्य सरकार बनाम बहादुर सिंह व अन्य मामले में 2 दिसंबर 2014 को दिए आदेश को स्पष्ट करे और उनका पक्ष भी सुने। मामले के अनुसार, 1944 में तत्कालीन जयपुर स्टेट ने बहादुर सिंह को 60 बीघा जमीन आवंटित की थी। वहीं वर्ष 1958 में इसमें से 31 बीघा जमीन ही पंजीकृत हुई और बाकी 29 बीघा जमीन सवाई चक होने के चलते पंजीकृत नहीं हुई। इस दौरान 12 नवंबर 1982 को जेडीए एक्ट लागू हुआ व धारा 54 के तहत जमीन जेडीए की हो गई। कलेक्टर के आदेश से नामांतरण भी जेडीए के नाम खुल गया, लेकिन बहादुर सिंह ने जेडीए को पक्षकार बनाए बिना ही इसके खिलाफ जिला कलेक्टर के यहां खातेदारी अधिकारों के लिए रेवेन्यू दावा किया। उसका दावा 29 दिसंबर 1998 को खारिज हो गया। मामला रेवेन्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंचने पर ट्रिब्यूनल ने खातेदारों की अपील मंजूर कर उनके नाम पर जमीन का नामांतरण खोलने का निर्देश दिया। इसे चुनौती देने पर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने 4 अक्टूबर 2002 को राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी 2 दिसंबर 2014 को रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में जेडीए पक्षकार नहीं था।

कन्हैया लाल हत्याकांड के आठवें आरोपी को भी जेल

जयपुर, (का.सं.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आठवें आरोपी मोहम्मद जावेद को एक अगस्त तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

चार दिन की पुलिस अभिरक्षा की अवधि पूरी होने पर एनआईए की ओर से आरोपी को कडी सुरक्षा के साथ अदालत में बापर्दा पेश किया। एनआईए की ओर से कहा गया कि आरोपी से मामले में पूछताछ पूरी हो गई है और फिलहाल उसके रिमांड की जरूरत नहीं है। इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जिस पर एनआईए कोर्ट ने जावेद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार कन्हैया लाल की दुकान की गली में ही जावेद की दुकान थी। आरोपी रियाज अत्तारी ने ही उसे कन्हैयालाल की दुकान की रेकी करने के लिए कहा था। घटना वाले दिन कन्हैया ने जब अपनी दुकान खोली थी तो जावेद ने ही इसकी सूचना उन्हें दी। ऐसे में जावेद पर कन्हैया की दुकान की रेकी करने व हत्या के आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहने का आरोप है।

"अमृत महोत्सव" समारोह का 15 अगस्त को आयोजन

- तीन परमवीर चक्र विजेता और पांच महान विभूतियों को दिया जाएगा भारत अमृत अलंकरण महोत्सव सम्मान

जयपुर। राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र पहले और आईलव इंडिया थीम पर जयपुर के नागरिकों, विभिन्न सामजिक संगठनों और औद्योगिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में 15 अगस्त को रामनिवास बाग में भारत अमृत महोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को निजी होटल में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने के लिए जयपुर के नागरिकों की ओर से बनी भारत अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रेसवार्ता की।

संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा ने बताया कि समारोह में देश के तीनों परमवीर चक्र विजेताओं कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार समेत पांच महान विभूतियों को आम नागरिकों की ओर से भारत अमृत अलंकरण महोत्सव सम्मान और पांच-पांच लाख रुपए की सम्मान राशि भेंट की जाएगी। शर्मा ने बताया कि जयपुर के नागरिकों की ओर से परमवीरों चक्र विजेताओं कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार सहित पांच महा विभूतियों को भारत अमृत अलंकरण दिया जाएगा। इसके साथ इन्हें पांच-पांच लाख रुपए की सम्मान राशि भेंट की जाएगी। इनके साथ साथ हम सबके लिए खुशी भरा और दीवानाभरा दिन होगा कि महारानी लक्ष्मी बाई, लोकमान्य तिलक, सुभाषचंद्र बोस, तात्या तोपे, बहादुरशाह जफर, मंगल पांडे, उधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महावीर सिंह समेत कई क्रांतिकारियों और राष्ट्रनेताओं के परिजन हमारे बीच होंगे। इनके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समारोह में उपस्थित करने का आग्रह किया है। वहीं, जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और जयपुर हैरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर कार्यक्रम की संरक्षक होंगी।

बाहरी अभ्यर्थी के लिये आरक्षण नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2020 के मामले में कहा है कि बाहरी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कमलेश कुमार मंडल की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती के 33 पदों के लिए दो वर्ष पूर्व भर्ती निकाली थी। आयोग की ओर से जारी अस्थाई वरीयता सूची के ओबीसी वर्ग में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

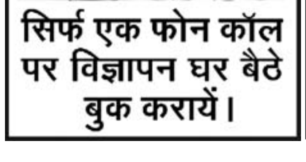

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

माफिया के इशारे पर चल रही कांग्रेस सरकार : तरूण चुघ

- 'टीम राजस्थान भाजपा संगठनात्मक मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य कर रही'

जयपुर। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ ने आज जयपुर में विभिन्न संगठनात्मक बैठकें ली। उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें संगठनात्मक, प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर चर्चा की।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ ने मंगलवार को जयपुर में विभिन्न संगठनात्मक बैठकें ली। उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया व प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे।

इससे पहले डॉ. पूनियां और तरूण चुघ ने ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित किया। तरूण चुघ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है, कांग्रेस सरकार माफिया के कब्जे में है, जिसमें खनन माफिया, नकल माफिया, रेत माफिया इत्यादि पैर पसारे हुए हैं, जिनके इशारे पर सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य की कानून व्यवस्था और शासन को संभालने में पूरी तरह विफल हो चुके हैं, प्रदेश का विकास पूरी तरह ठप है, किसान कर्जमाफी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार ने वादाखिलाफी की है, अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार-बार कांग्रेस के दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं।

चुघ ने कहा कि, प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुशासन, वादाखिलाफी और झूठे वादों से आक्रोशित है और 2023 में जनता कांग्रेस सरकार का तख्तापलट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएगी, जिसकी बड़ी वजह केन्द्र की जन-कल्याणकारी नीतियां और राजस्थान में भाजपा संगठन की पन्ना, बूथ इकाइयों तक जमीनी मजबूती। उन्होंने कहा कि, 2023 में भाजपा का चेहरा कमल का फूल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कुशल एवं मजबूत नेतृत्व होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम राजस्थान भाजपा संगठनात्मक मजबूती के साथ और जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक जिस मजबूती से उठा रही है, उससे 2023 में भाजपा का विजय संकल्प तीन-चौथाई बहुमत के साथ सरकार बनाने के साथ अवश्य पूर्ण होगा, यह भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती उर्मिला गोयल पत्नी श्री अशोक कुमार गोयल निवासी प्लॉट नम्बर 16, मोनू ट्रेडर्स, सेन्ट्रल कॉलोनी, रोड नम्बर 9-ए, वी के आई एरिया, जयपुर राजस्थान की है जिन्होने एक प्लाट नम्बर 1/119, सेक्टर 1, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान को श्री कृष्ण वल्लभ गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल पाटोदिया से क्रय करने का इकरारनामा निष्पादित किया है तथा इकरारनामें में वर्णित समय में उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति का विक्रय-पत्र भी निष्पादित किया जायेगा। किसी भी दीगर व्यक्ति व संस्था आदि को कोई आपत्ति, आक्षेप है तो मुझे सात दिवस के भीतर सूचित करें तथा सात दिवस बाद आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
तेजकरण शर्मा, एडवोकेट
जयपुर दु.नं. ए-5, चित्रकूट स्टेडियम,
दिनांक 26/07/2022 वैशाली नगर, जयपुर, मो. 9509333566

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः 5738 जाहिर आम-सूचना दि:26.07.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 61/139 (MIG-B) का आवंटन श्री मोती लाल मीना पुत्र श्री घासीराम मीना को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2185 दिनांक 24.03.1994 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 27.02.1999 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री मोती लाल मीना की मृत्यु दिनांक 10.05.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मोती लाल मीणा द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मोती लाल मीणा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः 5739 जाहिर आम-सूचना दि:26.07.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 61/141 (MIG-B) का आवंटन श्री महावीर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री पूर्णमल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4771 दिनांक 15.06.1994 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 20.03.1995 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री महावीर प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 26.06.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री नीरज गुप्ता पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद गुप्ता द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री नीरज गुप्ता पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

Public Notice
All users inform to claim refund of their deposited money from MySure 11/Focus11 (fantasy mobile application) as it NO LONGER ACTIVE. You can claim your FULL wallet money REFUND by contacting on support id-support@mysure11.com till 5 August 2022.
After 5 August 2022, NO claim of refund will be made.

बापू कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
क्रमांक: SP-01 **आम सभा की सूचना** दिनांक: 26.07.2022
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 04.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालयः- प्लॉट नं. 85-86, गणेश नगर विस्तार, करधनी योजना के पीछे, कालवाड रोड, जयपुर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार है :-1. गत आमसभा की पुष्टि। 2. समिति की गत वर्षो की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार। 3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार। 4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त समय पर आमसभा में उपस्थित होवे।
मंत्री, बापू कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(प.दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-15)
क्रमांकः-एफ-13()उप.आयो-II/ननिज/2022/971
सार्वजनिक सूचना दिनांक 25.07.2022
भूखण्ड सं. 149-ए, बाहुबली नगर, झोटवाड़ा (दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि0) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री बैनी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री झम्मन लाल शर्मा को क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में अब आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजि0 पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, रजि.हकत्याग पत्र की फोटोप्रति, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहा है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी स्व0 श्री बैनी प्रसाद शर्मा के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डलः अजमेर
क्रमांक-860 दिनांक-18.7.22
जाहिर आम सूचना राजस्थान आवासन मण्डल संख्या 3-क-11 अजयनगर अजमेर योजना में श्री चौईथराम पुत्र श्री गेहीमल बालानी को आवंटित कर दिनांक 19.12.1978 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री चौईथराम पुत्र श्री गेहीमल बालानी ने आवास का बैंचान जरिये मुख्त्यारनामा, इकरारनामा, वसीयतनामा के श्री टी.जे. नागरानी पुत्र श्री जगतराय नागरानी को कर दिया गया। इसके पश्चात मण्डल द्वारा श्री टी.जे. नागरानी पुत्र श्री जगतराय नागरानी के पक्ष में दिनांक 24.02.1997 को नियमितिकरण के आदेश जारी किय गये। श्री टी.जे. नागरानी पुत्र श्री जगतराय नागरानी द्वारा दिनांक 25.02.1997 को उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। श्री टी.जे. नागरानी की मृत्यु दिनांक 23.05.2002 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री सुरेश कुमार नागवानी पुत्र स्व. श्री टी.जे. नागरानी ने मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अब श्री सुरेश कुमार नागवानी पुत्र स्व. श्री टी.जे. नागरानी ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। श्री सुरेश कुमार नागरानी पुत्र स्व. श्री टी.जे. नागरानी का नाम मण्डल रिकार्ड मे प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

नाम परिवर्तन

मै राजेश कुमार दोतानिया पुत्र श्री पूरणमल दोतानिया सूचित करता हूँ कि मेरी 10वीं कक्षा की अंकतालिका में मेरा नाम राजेश कुमार दोतानिया (Rajesh Kumar Dotaniyan) दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम राजेश कुमार दोतानिया (Rajesh Kumar Dotaniya) है। भविष्य में मुझे राजेश कुमार दोतानिया (Rajesh Kumar Dotaniya) नाम से जाना पहचाना जावे।

मेने अपना नाम रीना कुमारी से बदलकर रीना देवी सिंगडोदिया धर्मपत्नी राकेश कुमार सिंगडोदिया रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। निवासी 748, राजीवपुरी गली न 3, जलमहल, जयपुर

मैंने अपने पुत्र जहान सैनी (Jahan Saini) से बदलकर जीत सैनी (Jeet Saini) कर लिया है। भविष्य में उसे जीत सैनी पुत्र श्री विक्रम सैनी के नाम से जाना पहचाना जावे। विक्रम सैनी, 248-ए, विजय वाडी पथ नं.1, तीन दुकान, सीकर रोड़, जयपुर (राज.) 302039 मो. 9829418275

I Kachara Ram S/o Deepa Ram Godara R/o Berawas, Nagaur, Rajasthan-341025, have changed my name to Mohit Godara.

I Rani W/o Kuldeep Singh R/o 224 Thakur Mohalla, Ward No-8, Bharatpur, Rajasthan-321001, have changed my name to Kavita Rani.

खोया पाया

मेरे स्वामित्व के प्लाट नं.-112, ग्रीन विहार, वाटिका गांव-वाटिका सांगानेर जयपुर के मूल कागजात (सहकारी समिति का आवंटन पत्र, साइट प्लान, रसीद, विक्रय पत्र) गुम हो गए। मिलने पर सूचित करें। अनिलकुमार शर्मा, ग्राम-भाटेड, वाटिका, सांगानेर जिला जयपुर-303905 मो.-9414221245

गुड्डी देवी मीणा Allotment Letter H.No.-29D/430 कुम्भा मार्ग प्रताप नगर पर खो गया है। मिलने पर सूचित करें- 7014359949

मेरी कंपनी जाजु आईरन री-रोलर्स प्रा.लि. जयपुर के प्लॉट न.92सी की ओरिजनल सेल डीड जो कि भारत स्ट्रक्चरल ने जाजू आयरन के हक में निष्पादित की थी जिसका क्र.न. 2008052006603 दिनांक 08.05.2008, दिनांक 06.07.2022 को कंपनी के ऑफिस से कमानी रोड़ जाते समय कहीं पर गिर गए है। किसी को मिले तो सूचित करें। नरेश कुमार जाजू निदेशक मो.9314512893

मेरे प्लाट नं.257/8 सेक्टर 3 विद्याधर नगर जयपुर के असल दस्तावेज जिनमें प्लाट के अलाटमेंट लेटर, कब्जा पत्र एवं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज श्रीराम नगर बैनाड रोड के बीच गिर गये। मिलने पर सूचित करें। 9950750781

जेडीए कि योजना गोविन्दपूरा शिकार पूरा रोड सांगानेर के भू.सं-19 के मूल दस्तावेज एलॉटमेंट लेटर, कब्जा पत्र, जेडीए पट्टा, विक्रय पत्र खो गए है सूचित करें ललिता राजन -9269007622

जेडीए कि योजना बक्सावाला के भू.सं-एफ 195 के मूल दस्तावेज एलॉटमेंट लेटर खो गया है सूचित करें कुलदीप राजन -7727832040

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम-1
जयपुर महानगर, जयपुर प्रथम
नागेश चन्द्र शर्मा व अन्य बनाम श्रीमती मणी नारंग व अन्य
दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 44 सन् 2019
बनाम- (2) श्रीमती मानसी धर्मपत्नि श्री अमित राजानी, उम्र 40 वर्ष, जाति-सिन्धी, निवासी-म.न. 2/639, सेक्टर-4, वाटर वर्क्स के पास, सत्कार शॉपिंग सेन्टर, मालवीय नगर, जयपुर। (4) श्री बृजेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री आदित्य चन्द्र शर्मा, उम्र-52 वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी-मकान न. 1154, मन्दिर श्री चापावत जी, जौहरी बाजार, जयपुर।
वादी ने आपके विरूद्ध वादीगण के लिये बाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तरीख 03 माह 08 सन् 2022 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं, पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या लिखित/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है, तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात ही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता0 22 माह 07 सन् 2022 की मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया हैं।
(मोहर) अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर महानगर प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम-1
जयपुर महानगर, जयपुरप्रथम
नागेश चन्द्र शर्मा व अन्य बनाम श्रीमती मणी नारंग व अन्य
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी विषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र संख्या 56 सन् 2019
नाम (2) श्रीमती मानसी धर्मपत्नि श्री अमित राजानी, उम्र 40 वर्ष, जाति-सिन्धी, निवासी-म.न. 2/ 639, सेक्टर-4, वाटर वर्क्स के पास, सत्कार शॉपिंग सेन्टर, मालवीय नगर, जयपुर। (4) श्री बृजेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री आदित्य चन्द्र शर्मा, उम्र-52 वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी-मकान नम्बर 1154, मन्दिर श्री चापावत जी, जौहरी बाजार, जयपुर।
उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि ... अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दिनांक 03 माह 08 सन् 2022 को 10.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में सफल रहेगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।
अतः आज दिनांक 22 माह 07 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक 22.07.2022
(मोहर) अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर महानगर प्रथम